

ज्ञापांक:- खा०प्र० 04/खाद्या० भण्डा०-25/2007

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के D.O. No.-S-10/3/2017-ECR&E, नई दिल्ली, दिनांक 29.09.2019, D.O. No.-S-10/2017-ECR&EO, नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2019, D.O. No.-S-10/2017-ECR&E, नई दिल्ली, दिनांक 04.12.2019 के आलोक में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 3415, दिनांक 05.12.2019, पत्रांक 3463, दिनांक 10.12.2019 एवं पत्रांक 3414, दिनांक 05.12.2019, पत्रांक 3359, दिनांक 26.11.2019, पत्रांक 2903, दिनांक 30.09.2019 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदत्त, वितरण या भण्डारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् प्याज के संबंध में भारत सरकार के आदेश संख्या- फा० सं०- एस-10/3/2017-ईसीआर एण्ड ई, दिनांक 27.02.2020 के आलोक में प्याज के स्टॉक सीमा को अगले आदेश तक के लिए समाप्त किया जाता है। तदनुसार पूर्व में निर्गत उपरोक्त विभागीय पत्रांकों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(थॉमस डुंगडुंग),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- खा०प्र० 04/खाद्या० भण्डा०-25/2007- 727 /राँची, दिनांक :- 17/03/20

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी उप निदेशक (खाद्य)/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पोस्ट बॉक्स-32, कडरु डायवर्शन, मेन रोड, राँची, झारखण्ड/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।